सरयू राय
मंत्री
संसदीय कार्य–सह
खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं
उपभोक्ता मामले विभाग
झारखण्ड सरकार

झारखण्ड सरकार

कार्यालय :-
झारखण्ड मंत्रालय
प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची
आवास : एफ०टाईप, पी०डब्लू०डी० (IB)
डोरण्डा, राँची
मो० : 9431114466

पत्रांक 16/मंत्री/ejc

दिनांक 06-01-16

मुख्य सचिव,

झारखंड की वर्तमान सरकार को बने एक वर्ष से अधिक हो गया. कुछ दिन बाद यह सरकार अपना दूसरा बजट पेश करेगी. 12वीं पंचवर्षीय योजना के चौथे वर्ष की वार्षिक योजना दस्तावेज के प्रारूप की तैयारी तथा योजनात्मक विकास के दीर्घकालीन लक्ष्यों के आलोक में अगले वित्तीय वर्ष के बजट उपबंधों की प्राथमिकताओं के निर्धारण की प्रक्रिया भी अंतिम चरण में होगी. राज्य का त्वरित एवं सर्वांगीण विकास वर्तमान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. विभिन्न अवसरों पर सरकार इस प्राथमिकता को सार्वजनिक रूप से अभिव्यक्त भी करते रहती है. इसके मद्देनजर कतिपय बिन्दुओं की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ जो निम्नांकित हैं :–

1. राज्य में विकास योजनायें तैयार करने का कोई विशेषज्ञ तंत्र नहीं है. यह महती दायित्व योजना विभाग के कंधों पर है, जिसकी क्षमता सीमित है. मुझे लगता है कि योजनाओं का खाका तैयार करने, इनके क्रियान्वयन का मूल्याँकन करने, इनकी मध्यवर्ती/सामयिक समीक्षा करने, राज्य के विकास लक्ष्यों के अनुरूप संसाधनों का आकलन एवं संवर्धन करने तथा आवश्यकतानुसार इनका प्रक्षेत्रवार आवंटन निर्धारित करने के लिये राज्य में बहुआयामी विशेषज्ञों का एक औपचारिक समूह गठित करने की आवश्यकता प्रतीत हो रही है. राज्यहित एवं जनहित में इसका औपचारिक गठन शीघ्र किया जाना चाहिये.

2. आर्थिक विकास के प्रचुर संसाधनों की उपलब्धता झारखंड राज्य की विशेषता है. विडम्बना है कि इसके बावजूद झारखंड विकास विकलांगता का शिकार है. राज्य में अंतर्राज्यीय क्षेत्रीय विषमता एवं आय असमानता की स्थिति अत्यंत गंभीर है. विगत दिनों से सकल घरेलू उत्पादन और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि राज्य के विकास एवं उपलब्धियों के आकलन का प्रमुख आधार बना हुआ है. इस एक आयामी मापदंड पर आकलित उपलब्धियां स्वस्थ एवं सर्वांगीण सामाजिक–आर्थिक विकास का आधार नहीं हो सकती. विकास विडम्बना के "कारण और निवारण" की क्लिष्ट विवेचना में गये बिना मेरा सुझाव है कि राज्य के नीति निर्धारण और नीति निर्धारकों के मार्गदर्शन के लिये राज्य में एक

email : saryuroy@gmail.com/info@saryuroy.in/वेबसाईट -- www.saryuroy.in

सक्षम पूर्णकालिक आर्थिक सलाहकार नियुक्त होना चाहिये और इसे सशक्त संस्थात्मक आधार प्रदान किया जाना चाहिये.

3. आप सहमत होंगे कि केवल "विकास और विकास" की अवधारणा राज्य की प्रतिस्पर्धी प्रगति के लिये पर्याप्त नहीं है. विकास समावेशी होना चाहिये, समावेशन न्यायोचित होना चाहिये और इसके फल का संवितरण जनोपयेगी होना चाहिये. इस बारे मे पर्याप्त संकेत और निर्देश हमारे संविधान में है. ऐसा होने पर ही अक्षय/स्थायी/धारणीय विकास की अवधारणा मूर्त रुप ले सकती है. इस हेतु विकास कार्यों और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण/संवर्धन हेतु एक बहुस्तरीय सलाहकार पर्षद का गठन होना चाहिये, जो राज्य स्तर पर कार्यरत विशेषज्ञ समूह के साथ अनुमंडल स्तर, जिला स्तर एवं प्रखंड स्तर तक की स्थानीय औपचारिक/अनौपचारिक आवश्यकता एवं बुद्धिमताजन्य सोच को साकार करने हेतु व्यावहारिक समन्वय का आधार प्रदान करे.

4. संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के आधार पर पंचायती राज और नागरिक स्वशासन का नया आयाम खुला है. भारत सरकार इन संस्थाओं को स्थानीय विकास के लिये राज्य सरकार को माध्यम बनाये बिना केन्द्रीय योजना से सीधे वित्तीय सहायता भेज रही है. भारतीय प्रशासनिक सेवा के उपायुक्त एवं समकक्ष अधिकारियों के माध्यम से इसका पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण भी कर रही है. ऐसे वित्तीय उद्व्यय से क्रियान्वित होनेवाली विकास परियोजनाओं की उपलब्धियों का राज्य योजना के प्रतिफल के साथ सुसंगत तालमेल सहित संयुक्त मूल्यांकन के लिये ग्रामीण विकास विभाग और नगर विकास विभाग से इतर एक संस्थात्मक ढाँचा तैयार किया जाना चाहिये. यह राज्य वित्तीय आयोग के अधीन भी हो सकता है और इसका पूरक भी. सांसद एवं विधायक निधि से हो रहे विकास कार्यों की उपलब्धियों का मूल्यांकन एवं प्रभाव अध्ययन का माध्यम भी यह संस्थान हो सकता है.

5. राज्य में मानव विकास सूचकांक की स्थिति कचोटने वाली है. आंकड़ों के हवाले से यहां पर इसकी विशद विवेचना बोझिल प्रतीत होगी. फिर भी सरकार के योजना उद्व्यय और बजटीय उपबंध का इस संदर्भ में आकलन आवश्यक प्रतीत होता है ताकि राज्य की जनता का जीवन स्तर बेहतर हो सके, समाज ज्ञानवान हो सके, लोगों का जीवन स्वस्थ हो सके. राज्य की सामाजिक सुरक्षा तथा पोषण एवं कल्याण कार्यक्रमों में भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करना और इन्हें निर्धारित मानदंडों के अधीन सार्वजनीन बनाना और लिंग, वर्ग, आयु, निशक्तता आदि भेदों से परे व्यापक आधार प्रदान करना समय की मांग है. ऐसे उद्व्ययों के सामाजिक प्रभाव अध्ययन की सुचिंतित व्यवस्था भी अपरिहार्य प्रतीत होती है. इसमें

विश्वविद्यालय, महाविद्यालय आदि शैक्षणिक जगत के मानव संसाधन का उपयोग किया जा सकता है.

6. योजना प्रक्रिया में सांख्यिकी की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में हम सभी भलीभांति अवगत हैं. प्राथमिक सांख्यिकी संग्रह की गुणवता में अभिवृद्धि के लिये योजना विभाग के अंतर्गत कार्यरत सांख्यिकी निदेशालय का सुदृढ़ीकरण आवश्यक है. सम्प्रति यह निदेशालय सक्षम स्थिति में नहीं है. योग्य और अनुभवी विशेषज्ञों को इसके साथ जोड़कर इसे प्राथमिकता के आधार पर सशक्त बनाया जाना चाहिये.

7. राज्य में उपलब्ध मानव संसाधन की दक्षता और प्रवीणता में अभिवृद्धि कर जमीनी स्तर पर पूंजी निर्माण की प्रक्रिया को गति देने के लिये पर्याप्त सार्वजनिक निवेश की आवश्यकता है. यह कार्य बाह्य पूंजी निवेश के भरोसे संभव नहीं है. बाह्य पूंजी निवेश की स्वाभाविक प्रवृत्ति मुनाफा अर्जित करने की रहती है. मुनाफा अर्जन की प्रवृत्ति और सामाजिक प्रक्षेत्र की आवश्यकतायें मूल रुप से परस्पर विरोधी और असमानता को बढ़ावा देनेवाली होती हैं. सामाजिक प्रक्षेत्रों मे निजी पूंजी का प्रभाव प्रथम दृष्ट्या गुणवत्ता विकास का एहसास तो कराता है परंतु समान अवसर प्रदान कराने के लक्ष्य से दूर और सर्वसामान्य की पहुंच से परे एक अभिजात्य श्रेणी का सृजन भी करता है.

सामाजिक प्रक्षेत्र में सार्वजनिक निवेश को प्रभावी बनाकर निजी पूँजी निवेश के प्रभाव क्षेत्र से परे पड़े सर्वसामान्य समूह की दक्षता–प्रवीणता को प्रतिस्पर्धी स्वरुप प्रदान करने के लिये इन प्रक्षेत्रों के वर्तमान सांस्थिक ढाँचा के स्वरुप को प्रशिक्षित करने, सुदृढ़ करने और जिम्मेदार बनाने की कार्य योजना पर अमल किया जाना चाहिये ताकि इस क्षेत्र में सार्वजनिक पूंजी निवेश का प्रतिफल एक ज्ञानवान समाज के रूप में राज्य की दीर्घकालीन विकास प्रक्रिया को मजबूत आधार प्रदान करे.

8. वित्तीय वर्ष 2016-17 की योजना और बजट के बारे में लीक से हटकर एक अवधारणा को अपनाने पर विचार हो तो राज्य की क्षेत्रीय विषमता पर काबू पाने और योजना/बजट के विकेंद्रीकरण की दिशा में यह एक सार्थक पहल साबित होगी. अभी तक राज्य के योजना बजट में प्रक्षेत्रवार आवंटन का उपबंध प्रदेश स्तर पर होता है. राज्य के बजट में यह उपबंध जिलावार किया जाये. अलग अलग जिलों में विकास की प्राथमिकतायें अलग अलग होती हैं. जबकि राज्य के वार्षिक बजट में प्रक्षेत्रवार उपबंध राज्य के औसत के आधार पर होता है. इसके लिये प्रक्षेत्रवार प्रत्येक जिला की विकास प्राथमिकताओं का निर्धारण करना होगा. एक प्रक्षेत्र के लिये जिलावार बजटीय उपबंध निर्धारण के लिये विभिन्न जिलों में प्राथमिकतायें भिन्न हो सकती हैं. इस आधार पर किसी जिला की जरूरत के